# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

**प्रार्थी**

श्री लालाराम पुत्र ओबाजी, जाति- कलबी, निवासी-उडवारिया, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

**अप्रार्थी**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, उड़वारिया, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री मानाराम पुत्र उनाजी, जाति-कलबी, निवासी-उडवारिया, तह.रेवदर, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 13/2016

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री फिरोज पठान, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या- 2 (मानाराम) की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 14 मई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा श्री उना पुत्र तेजाजी, जाति- कलबी, निवासी- उड़वारिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राजय नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 604 दिनांक 29.9.1979 (मिसल संख्या 169 तारीख दायर 25.4.1979) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 मानाराम पुत्र उनाजी, जाति- कलबी, निवासी- उडवारिया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, उड़वारिया को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के पिता ओबाजी के स्वामितत्व एवं मालकी का एक मकान ग्राम उड़वारिया में आया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल पूर्व-पश्चिम 40 फीट व उत्तर-दक्षिण 60 फीट कुल 2400 वर्गफीट है एवं उक्त मकान की चतुर्दशी में पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चिम में प्लॉट, उत्तर में पडत जमीन व दक्षिण में प्लॉट स्थित है। उक्त मकान में प्रार्थी अपने पिता के साथ निवास करता आ रहा था। प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी मकान का प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थी मानाराम के पिता उना जी व अप्रार्थी मानाराम ने पंचायत से मिलीभगत करके अप्रार्थी के पिता उनाजी के नाम से पट्टा जारी करवा दिया। उक्त पट्टा आरम्भत: शून्य एवं अवैध दस्तावेज है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

भूखण्ड़/मकान पर अप्रार्थी संख्या-2 एवं अप्रार्थी संख्या-2 के पिता का कभी भी कब्जा नही रहा है। उक्त मकान प्रार्थी के पिता ओबाजी के स्वामित्व की सम्पति है। प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टे के संबंध में जानकारी तब हुई, जब अप्रार्थी मानाराम ने प्रार्थी के पुश्तैनी मकान की भूमि को समतल कर मौके पर पर निर्माण कार्य शुरु किया। तब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, उडवारिया में शिकायत दर्ज करवाई तो पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण कर मौके पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अप्रार्थी मानाराम व अप्रार्थी मानाराम के पिता ने ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर कुटरचित तरीके से प्रश्नगत पट्टा अप्रार्थी मानाराम के पिता के नाम से बनवा लिया है, जबकि प्रश्नगत पट्टे के संबंध में किसी प्रकार कोई रेकर्ड प्रस्ताव व मिसल इत्यादि ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा अप्रार्थी मानाराम के पिता के नाम से उक्त सम्पति का कोई पट्टा जारी ही नही हुआ है एवं न ही अप्रार्थी के पास मूल पट्टा उपलब्ध है। प्रश्नगत कुटरचित पट्टे की आड में अप्रार्थी मानाराम द्वारा प्रार्थी के पिता की उक्त सम्पति को हड़पने हेतु प्रयास किया जा रहा है, इसलिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी मानाराम के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा पंचायत से मिली भगत करके पट्टा प्राप्त नही किया गया है, बल्कि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या-2 के पिता ग्राम उड़वारिया में कदीम से प्रश्नगत भूखण्ड़ पर काबिज थे तथा उसी भूखण्ड़ का ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा अप्रार्थी मानाराम के पिता उनाजी पुत्र तेजाजी कलबी के हक में दिनांक 25.4.1979 को मिसल दायर कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 40x60 वर्गफीट का पट्टा संख्या 604 जारी किया है। अप्रार्थी संख्या- 2 के मालकी स्वामित्व के उक्त भूखण्ड़ के चारों तरफ कदीम से बाड की हुई तथा उसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थी संख्या-2 अपने पिता के जीवनकाल से लगातार करता आ रहा है एवं मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 अपने मालकी स्वामित्व व पट्टेशुदा भूखण्ड़ पर काबिज है। अप्रार्थी के अधिवकता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टे की जानकारी अप्रार्थी मानाराम द्वारा मौके पर निर्माण शुरु करने पर होना बताया है तथा प्रार्थी ने निगरानी में यह तथ्य भी अंकित कर रहा है कि मौके पर मकान बना हुआ है। इस प्रकार, प्रार्थी के कथनों में विरोधाभाष है। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत पट्टे से संबंधित सम्पति को अपने पिता की सम्पति होना बताता है, जबकि पट्टा मिसल संख्या 262 वर्ष 1986-87 दिनांक 11.5.1987 को प्रार्थी लाला पुत्र ओबाजी के नाम से क्षेत्रफल 60x40 वर्गफीट का जारी किया हुआ है व इसी प्रकार पट्टा मिसल संख्या 262 वर्ष 1986-87 दिनांक 11.5.1987 का प्रार्थी के भाई हटा पुत्र ओबाजी के नाम से 60X40 वर्गफीट का जारी किया है, इस तथ्य को प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में जानबूझ कर छिपाया है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित सम्पति अप्रार्थी मानाराम के पिता के समय से कब्जे भोगवटे की थी जिसका ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा वर्ष 1979 में अप्रार्थी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

मानाराम के पिता उनाजी पुत्र तेजाजी कलबी के नाम से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जबकि प्रार्थी व उसके भाई को पट्टे वर्ष 1986-87 में जारी हुये है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि के मौके पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई मकान या कब्जा नही है, बल्कि मौके पर अप्रार्थी मानाराम अपने पिता के समय से काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या-2 के पिता के पक्ष में जिन नियमों के तहत पट्टा जारी किया गया है उसी नियमों के आधार पर प्रार्थी व उसके भाई हटाराम के पक्ष में उक्तानुसार पट्टे जारी किये है तथा प्रार्थी इन पट्टों की आड में अप्रार्थी संख्या-2 की पट्टेशुदा भूमि को जबरदस्ती हडप करने के ईरादे से प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र मनगंढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा अप्रार्थी के पिता को पट्टा जारी किये हुये 38 वर्ष हो चुके है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार जहां कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो ऐसे दस्तावेज की विश्वसनीयता और वैधता पर संदेह नही किया जा सकता है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RLW 2002(4) Raj. Page 2284, 1997 SAR (Civil) SUPREME COURT 783, DNJ (Raj.) 1999 Page 437, DNJ(Raj.) 1999 Page 781 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान अकार्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त समयावधि में प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या-2 के पिता के हक में जारी पट्टे के संबंध में पूर्व से ही जानकारी है, उसके बावजूद भी प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टा जारी होने के 37 वर्ष बाद अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है तथा इस विलम्ब की अवधि के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण निगरानी प्रार्थना पत्र में नही दर्शाया है। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग युक्तियुक्त समय में किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थी मानाराम के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मानाराम के पास मूल पट्टा ही नही है तथा न ही प्रश्नगत पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, उड़वारिया में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड है। नियम विरुद्ध व कुटरचना कर तैयार किये गये दस्तावेजों के संबंध में किसी भी समय निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है, इसलिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा श्री उना पुत्र तेजाजी, जाति- कलबी, निवासी- उड़वारिया के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 604 दिनांक 29.9.1979 (मिसल संख्या 169 तारीख दायर 25.4.1979) को जारी किया गया है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि "ग्राम उड़वारिया में प्रार्थी के पिता ओबाजी के स्वामित्व व मालकी का मकान आया हुआ है जिसमें प्रार्थी अपने पिता के समय से साथ निवास करता था व प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी निरन्तर काबिज है। प्रार्थी के पिता ओबाजी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी मानाराम व

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी मानाराम के पिता ने पंचायत से मिली भगत कर प्रार्थी के पिता ओबाजी के मकान का पट्टा अपने नाम से बनवा लिया।'' जबकि अप्रार्थी मानाराम का कथन यह है कि ''अप्रार्थी मानाराम के पिता ग्राम उडवारिया में कदीम से प्रश्नगत भूखण्ड पर काबिज थे तथा उसी कब्जेशुदा भूखण्ड का ग्राम पंचायत उड़वारिया द्वारा अप्रार्थी मानाराम के पिता उनाजी पुत्र तेजाजी कलबी, निवासी- उडवारिया के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है व मौके पर अप्रार्थी मानाराम अपने पिता के समय से काबिज है।''

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत, उड़वारिया की मौका फर्द दिनांक 15.6.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्री लालाराम पुत्र ओबाजी कलबी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.6.2015 के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत उडवारिया द्वारा मौका देखा गया। उक्त मौका फर्द दिनांक 15.6.2015 के अनुसार मौके पर लालाराम ने अपना पट्टा संख्या 859 पेश किया तथा पट्टे से चतुर्दशी का मिलान किया एवं पट्टे के अनुरुप चतुर्दशी पाई गई। मौके पर पुराना मकान गिरा हुआ था। मानाराम को मौके पर बुलवाया एवं दस्तावेज पेश करने हेतु कहा, मानाराम ने कोई दस्तावेज पेश नही किये। उक्त मौका फर्द दिनांक 15.6.2015 के अनुसार मौके पर लालाराम पुत्र ओबाजी का कब्जा पाया गया। मानाराम ने कोई दस्तावेज पंचायत में प्रस्तुत नहीं किये। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रश्नगत पट्टे की वैधता के संबंध में इस न्यायालय में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है एवं न ही मूल पट्टा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, उक्त मौका फर्द दिनांक 15.6.2015 के अनुसार प्रश्नगत पट्टे की वैधता संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, उडवारिया को प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करने एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: नये सिरे से विधि सम्मत काहर्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा श्री उना पुत्र तेजाजी, जाति- कलबी, निवासी- उडवारिया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 604 दिनांक 29.9.1979 (मिसल संख्या 169 तारीख दायर 25.4.1979) को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, उडवारिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: नये सिरे से विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) 14.05.18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही